

प्रेषक,

सचिव

आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास।  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव (प्रभारी) उत्तराखण्ड शासन।
3. पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड।
4. आयुक्त, कुमायूँ एवं गढ़वाल मण्डल।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।

यू.एस.डी.एम.ए.

देहरादून: दिनांक: 31 जुलाई, 2020

विषय-

कोविड-19 के संक्रमण के नियंत्रण हेतु क्रियान्वित तालाबन्दी के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के पत्र संख्या-447/USDMA/792(2020) दिनांक 17 जुलाई, 2020 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके बिन्दु संख्या-4 के अन्तर्गत राज्य के चार जनपदों; यथा देहरादून, हरिद्वार, उधमसिंहनगर एवं नैनीताल में प्रत्येक शनिवार एवं रविवार को सम्पूर्ण तालाबन्दी का प्रावधान किया गया है।

आगामी दिनों में त्यौहार होने के दृष्टिगत शनिवार एवं रविवार (दिनांक 01 एवं 02 अगस्त, 2020) को तालाबन्दी न किये जाने का निर्णय लिया गया है। शासनादेश की अन्य शर्तें पूर्ववत् रहेंगी। तालाबन्दी से छूट की अवधि में जिलाधिकारी कोविड-19 से सम्बन्धित समस्त दिशा-निर्देशों व सामाजिक दूरी बनाये रखने के नियमों का कड़ाई से अनुपालन करवाया जाना सुनिश्चित करेंगे।

भवदीय

(शैलेश बगौली)  
सचिव

संख्या 493 /USDMA-792(2020) एवं तददिनांकित।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड।
3. सचिव, विधानसभा, उत्तराखण्ड।
4. महाधिवक्ता, मा. उच्च न्यायालय, नैनीताल।
5. सचिव, गोपन (मंत्रिपरिषद्) विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6. समस्त निजी सचिव, मा. मंत्रीगण को मा. मंत्रीगणों के संज्ञानार्थ प्रेषित।
7. स्टॉफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
8. सम्बन्धित पत्रावली।

(शैलेश बगौली)  
सचिव

प्रेषक,

सचिव

आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास।  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव (प्रभारी) उत्तराखण्ड शासन।
3. पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड।
4. आयुक्त, कुमायूँ एवं गढ़वाल मण्डल।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।

यू.एस.डी.एम.ए.

देहरादून: दिनांक: 31 जुलाई, 2020

विषय- कोविड-19 के संक्रमण के नियंत्रण हेतु क्रियान्वित तालाबन्दी के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के पत्र संख्या-447/USDMA/792(2020) दिनांक 17 जुलाई, 2020 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके बिन्दु संख्या-4 के अन्तर्गत राज्य के चार जनपदों; यथा देहरादून, हरिद्वार, उधमसिंहनगर एवं नैनीताल में प्रत्येक शनिवार एवं रविवार को सम्पूर्ण तालाबन्दी का प्रावधान किया गया है।

आगामी दिनों में त्यौहार होने के दृष्टिगत शनिवार एवं रविवार (दिनांक 01 एवं 02 अगस्त, 2020) को तालाबन्दी न किये जाने का निर्णय लिया गया है। शासनादेश की अन्य शर्तें पूर्ववत् रहेंगी। तालाबन्दी से छूट की अवधि में जिलाधिकारी कोविड-19 से सम्बन्धित समस्त दिशा-निर्देशों व सामाजिक दूरी बनाये रखने के नियमों का कड़ाई से अनुपालन करवाया जाना सुनिश्चित करेंगे।

भवदीय

(शैलेश बगौली)  
सचिव

संख्या 493 /USDMA-792(2020) एवं तदुदिनांकित।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. सचिव श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड।
3. सचिव, विधानसभा, उत्तराखण्ड।
4. महाधिवक्ता, मा. उच्च न्यायालय, नैनीताल।
5. सचिव, गोपन (मंत्रिपरिषद्) विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6. समस्त निजी सचिव, मा. मंत्रीगण को मा. मंत्रीगणों के संज्ञानार्थ प्रेषित।
7. स्टॉफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
8. सम्बन्धित पत्रावली।

  
(शैलेश बगौली)  
सचिव